लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/विधान सभा /पावस सत्र/2018/819 भोपाल, दिनांक 31-05-2018

प्रति,

(1) संभागीय संयुक्त संचालक, (समस्त)
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

(2) जिला शिक्षा अधिकारी, (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय :—पावस सत्र 2018 स्कूल शिक्षा विभाग के प्रश्नों के उत्तर संचालनालय को प्रेषित करने की व्यवस्था तथा आवश्यक निर्देश।

—00—

मध्यप्रदेश विधान सभा का पावस सत्र दिनांक 25.06.2018 से दिनांक 29.06.2018 तक आहूत किया गया है। विधानसभा प्रश्नों व सूचनाओं पर समयावधि में पूर्ण उत्तर प्राप्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें :—

1. विभाग से संबंधित विधान सभा प्रश्नों को संबंधित जिले एवं उनके संभागीय कार्यालय को ई—मेल के पते पर भेजे जायेगें। विधान सभा प्रश्नों के उत्तर संबधित संभागीय कार्यालय से पत्र—वाहक के हस्ते संचालनालय को समय सीमा के पूर्व भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये। उत्तर की प्रति संचालनालय के संबधित कक्षों के ई—मेल पर उपलब्ध कराया जाये ।
2. विधान सभा प्रश्नों के उत्तर संबंधित जिले से ही तैयार किये जायेगें। इसके लिए अनावश्यक पत्र व्यवहार न किया जाये।
3. विधान सभा प्रश्नों के उत्तर/जानकारी संचालनालय को प्रेषित की जाना है, उस पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ही अपने हस्ताक्षर करेगें तथा अपने संभागीय संयुक्त संचालक को निर्धारित तिथि के पूर्व प्रेषित किये जायेगें।
4. विगत विधान सभा सत्र में यह देखने में आया है कि जिलों से प्रश्नों के उत्तर के साथ संलग्नकों के रूप में जो परिशिष्ट, सूचियाँ आदि लगाकर भेजी जाती है वह अस्पष्ट या अपठनीय होने पर विधान सभा सचिवालय द्वारा उत्तर ग्राहय नही किया जाता है। साथ ही विधान सभा प्रश्नों के उत्तर भेजते समय प्रश्न के नीचे तिथि लिखना भूल जाते हैं। अतः आप विधान सभा प्रश्न के उत्तर के नीचे दिनांक लिख कर ही स्पष्ट एवं पठनीय परिशिष्ट की 10—10 प्रतियाँ भेजें। अस्पष्ट या अपठनीय होने पर उत्तरदायित्व संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक का रहेगा।
5. पूर्व सत्रों में यह भी देखने में आया है कि, जब भी लोक शिक्षण संचालनालय से संभागीय/जिला कार्यालय को दूरभाष करते हैं तो फोन ड्यूटी पर उपस्थित व्यक्ति जानकारी देने में असमर्थ रहता है। इसलिए दूरभाष पर किसी उत्तरदायी व्यक्ति की ड्यूटी दिनांक 05.06.2018 से विधान सभा सत्रांत तक लगाई जावे, जिसके पास विधान सभा प्रश्नों के उत्तर संबंधित सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो। कार्यालय के फोन पर सुबह 8.00 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक कर्मचारियों की डयूटी लगाते हुये जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराये इसके अतिरिक्त अपने कार्यालय के विधानसभा कार्य से संबंधित अधिकारियो/कर्मचारियों के निवास के पते दूरभाष एवं मोबाइल आदि की जानकारी भी संचालनालय को दि 05.06.2018 के पूर्व उपलब्ध करावें ।

6. विधान सभा सत्र के दौरान संचालक, लोक शिक्षण की अनुमति के बिना विधान सभा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगें। इसी प्रकार अपने अधिनस्थों को भी निर्देशित करें। इस बात का विशेज ध्यान रखा जाए कि किसी भी प्रकार से विधानसभा का कार्य प्रभावित न हो।

7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण का यह दायित्व रहेगा कि उनके संभागान्तर्गत जिलों से संबंधित विधान सभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित तिथि के पूर्व प्राप्त कर लोक शिक्षण संचालनालय को अनिवार्य रुप से प्रेषित करने के लिए निरन्तर मॉनिटरिंग करेगें तथा संभाग के जिलों से संबंधित प्रत्येक प्रश्नों की पूर्ण जानकारी रखेगें। यदि संभागन्तर्गत जिलों द्वारा किन्ही विधान सभा प्रश्नों के उत्तर प्रेषित करने में विलम्ब किया जाता है तो उसके लिए पूर्ण उत्तरदायी संबधित संभागीय संयुक्त संचालक रहेगें। उत्तर के संलग्न किये जाने वाले पत्रादि 10 प्रतियों में (जो पठनीय/कम्प्यूटर टंकित हो) भिजवाये जायें। प्रेषित किये जाने वाले उत्तरों में हिन्दी में ही संलग्नक कम्प्यूटर टंकित लगाये जाये।

8. म0 प्र0 विधान सभा के पावस सत्र स्कूल शिक्षा विभाग के प्रश्नों के उत्तर देने की अंतिम तिथियॉ निम्नानुसार रहेंगीं।

स. क्र.	विधानसभा सचिवालय से प्रश्न प्राप्त होने की तिथि	संभाग/जिले से संचालनालय को उत्तर प्राप्त होने की अंतिम तिथि	संचालनालय से शासन को उत्तर भेजने की अंतिम तिथि	शासन से विधानसभा सचिवालय उत्तर भेजने की अंतिम तिथि	विधान सभा (सदन) में उत्तर देने की तिथि
1	**05.06.2018**	**09.06.2018**	**14.06.2018**	**19.06.2018**	**25.06.2018**

9. विधान सभा कार्य हेतु यदि लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों के दूरभाष एवं फैक्स नम्बर निम्नानुसार है:-

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का दूरभाष	मोबाईल नम्बर	फैक्स नम्बर
1	श्रीमती जयश्री कियावत	आयुक्त	2583653	9425014681	2583651
2	श्रीमती अंजू पवन भदौरिया	संचालक	2583650	9406904002	
3	श्री डी.एस.कुशवाह	अपर संचालक	2583620	9826886282	
4	सुश्री कामना आचार्य	अपर संचालक		8966056750	
5	श्री जी.आर.वाईकर	उप संचालक		9406522933	
6	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक संचालक		7869841690	

10. विधानसभा प्रश्नों/उत्तर एवं अन्य निर्देशों के आदान प्रदान के लिये संभाग से प्रतिदिन (अवकाश के दिनों सहित) दि. 05.06.2018 से सत्र समाप्ति तक अनिवार्य रूप से वाहक को संचालनालय में भेजे ।

कृपया विधान सभा प्रश्नों के उत्तर भेजने के लिए उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें तथा विधान सभा से संबंधित प्रश्नों ध्यानाकर्षण, शून्यकाल आदि को सर्वोच्च

प्राथमिकता देते हुये निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर निर्धारित तिथि के पूर्व संचालनालय के विधान सभा कक्ष को पत्र–वाहक के हस्ते प्रेषित/प्राप्त किया जावें ।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 31.5.2018

पृष्ठां./क्र./विधान सभा/पावस सत्र/2018/820

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत एवं जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विधान सभा संबंधी समस्त कार्यो को समय–सीमा में पूर्ण कराने हेतु अपने स्तर से भी पर्यवेक्षण एवं निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।
4. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. समस्त, अधिकारी गण, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल की ओर अपने प्रभार वाले कक्ष से संबंधित विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने हेतु संबंधित जिले से सम्पर्क स्थापित कर उपर्युक्त निर्देशानुसार उत्तर भेजने हेतु दूरभाष इत्यादि से सतत् प्रयास किया जाये तथा निर्धारित तिथि के पूर्व उत्तर तैयार कर विधान सभा कक्ष को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें। प्रश्नो के उत्तर लंबित रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी अधीनस्थ के सहित अनिवार्य रूप से संचालनालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधीक्षक/सहायक अधीक्षक एवं कर्मचारीगण, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.भोपाल की ओर उक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।
7. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर लोक शिक्षण संचालनालय की ओर गत सत्रों की भांति पावस सत्र के विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण आदि को तत्काल संबधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालकों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करें तथा संचालनालय से प्रश्न के उत्तर तैयार होने पर उन्हें ऑनलाईन प्रक्रिया के अंतर्गत शासन को प्रेषित करें ।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश